

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ^{गंगापुर सिटी} चौथे काबरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत-

प्रकरण संख्या:-

दिनांक:-

उनवान

श्री रेवडमल पुठ मूलचन्द
जति रेगा (रा. देह खलेगा)

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथे काबरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
(रा. देह खलेगा)

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का कुनडुयारवा भू. अ. नि. कुनडुयारवा एवं तहसीलदार चौथे काबरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम आंखला प0 ह0 कुनडुयारवा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 14 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>रेवडमल पुठ मूलचन्द 78 1/60</u> <u>जति रेगा (रा. देह खलेगा)</u>	देहरी हावेली	1. <u>रेवडमल पुठ मूलचन्द</u> <u>78 1/32 जति रेगा</u> <u>(रा. देह खलेगा)</u>
2	<u>रेवडमल पुठ मूलचन्द 1/40</u> <u>जति रेगा (रा. देह खलेगा)</u>		

उपखण्ड अधिकारी
चौथे काबरवाड़ा
गंगापुर सिटी

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथे काबरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री रेवडमल पुठ मूलचन्द जति रेगा (रा. देह खलेगा)

756
2-12-15
177
25
2025
569

उपखण्ड अधिकारी
चौथे काबरवाड़ा
गंगापुर सिटी



उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)